

14.10.19

पत्रावली जेष हुई। वकील वादी उपेठ
नहीं। तथा वादी भी उपासित नहीं
कई बार वादी व उससे वकील को आवान
लागवारी हुई। लेकिन न तो वकील
वादी उपासित कामा और नहीं वादी
उपासित कामा। अतः दावा वादी अदम
हजिरी अदम पेशी में लाटिज किया
जाता है। पत्रावली फैसल सुनाए।
नम्बर से कम की जरूरत नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
वादी (धौबपुर) राजको

